

12-3-20

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी लूणी  
(जोधपुर)

शकुलामाप उप

स्वयं उपस्थित होकर एक प्राथमिक  
पत्र पेश कर निर्बन्ध किया कि  
प्रकरण की आगे नहीं चलाना  
चाहते हैं अतः प्राथमिक प्राथमिक  
पत्र विज्ञापित खारिज किया जाता  
है पत्रावली फाइल शुमार होकर  
हाजिर हफ्तर हो

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी लूणी  
(जोधपुर)